

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.2024	<p align="center">प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण मुकदमा संख्या 26 / 2024 विश्राम बनाम श्री लाखनसिंह उपखण्ड अधिकारी महवा व अन्य</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी श्री सुनील शर्मा उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह उपखण्ड अधिकारी महवा के विरुद्ध पेश किया गया है। श्री लाखनसिंह उपखण्ड अधिकारी महवा का स्थानान्तरण हो चुका है, इसलिये प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।</p> <p>अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त किया गया।</p> <p>हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण श्री लाखनसिंह उपखण्ड अधिकारी महवा के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। श्री लाखनसिंह उपखण्ड अधिकारी महवा का स्थानान्तरण हो चुका है। तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह का स्थानान्तरण होने से विचाराधीन प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण सारहीन होकर इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय उप जिला कलक्टर महवा में विचाराधीन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत वाद पत्र संख्या 47 / 2023 मुकदमा उनवानी बेलबाई बनाम विश्राम आदि को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण करने हेतु प्रार्थी विश्राम पुत्र नत्थी जाति मीना निवासी हडिया तहसील महवा जिला दौसा द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण उनवानी विश्राम बनाम श्री लाखनसिंह उपखण्ड अधिकारी महवा वगैरा खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p align="right">(सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर, दौसा</p>	

